भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2020/H-1/2/5/per capita New Delhi, dated 28.10.2020

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
The Director General, RDSO, Lucknow, The CAO(R),DMW, Patiala,
& The CAO/RWP/Bela.

Sub: Calculation of per capita charges for providing Medical Faculties to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.
Ref: Board's letter of even no. dated 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017,26.06.2018 & 17.06.2019.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The per capita charges is calculated on the basis of total expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee in India during the previous financial year.

Accordingly, the per capita charges for the financial year i.e. 2019-20 is ₹16,575/- p.a.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा/Mrs. H. K. Sanhotra)
संयुक्त निदेशक-II, स्वा० / Jt. Director-II/Health
रेलवे बोर्ड/ Railway Board.

No. 2020/H-1/2/5/per capita New Delhi, dated 28.10.2020

Copy for information & necessary action to:
1. The Principal Chief Medical Directors/CMOs/CMSs., All Indian Railways & Production Units.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.
3. The Principal Finance Advisers, All Indian Railways & Production Units.
4. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
5. The Dy. Comptroller & Auditor General of India(Railways),Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

for Member (Finance) Railway Board

Copy for DDF(E)I & II(E) Spl., Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2020

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू, पटियाला,
और सीएओ/आरडब्ल्यूपी/बेला।

विषय: रेल अस्पतालों/औषधालयों में कुछ लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016 और 20.12.2017, 26.06.2018 एवं 17.06.2019 के समसंख्यक पत्र।

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी ऋण समितियों और बैंकों के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के सदस्यों के लिए भी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार का भुगतान करने पर आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार ₹16,575/- प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा)
संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा नई दिल्ली, दिनांक 28.10.2020

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/सीएमओ/सीएमएस, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त) आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि डीडीएफ (ई)1 एवं एफ (ई) विशेष, रेलवे बोर्ड को प्रेषित